न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

नाम पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रार्थना –पत्र नम्बर 39/2023
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए
हरबंश सिंह पुत्र नत्था सिंह जाति तरखान निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. बिन्दर सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति तरखान निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्याः–41/2024
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

हरबंश सिह पुत्र नत्थासिह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगयि जिला हनुमानगढ

––––प्रार्थीगण।

बनाम

1. बिन्दर सिह पुत्र हजूर सिह जाति तरखान निवासी बोलवाली तहसील संगरिया
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री बलवन्त झोरड अधिवक्ता–प्रार्थी। प्र.स. 39/2023
2. श्री संजय धारणियां अधिवक्ता–अप्रार्थी संख्या 1 प्र.स. 39/2023
3. श्री नरेश मण्डा अधिवक्ता– प्रार्थी। प्र.स. 41/2024

निर्णय दिनांकः– 6.3.2025

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 39/2023 अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम से चक 14 बी.जी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 62/77 610/6831 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के पिता के पास कब्जा काश्त चक 14 बी.जी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 135/103,136/85 में कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को घरेलू बटवारा में प्राप्त हुई है जिसकी जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना–पत्र है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 14 बी.जी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 135/103,136/85 के संयुक्त खाता में 1.265 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है चुंकी अप्रार्थी सं. 1 बिन्दर सिंह उर्फ सुखमहेन्द्र पुत्र हजूर सिंह के कब्जा–काश्त में है। जिसकी जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना–पत्र है। यह कि प्रार्थी चक 14 बी.जी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 135/103 के प.नं.175/103 मु.नं. 32 किलानं. 13,17,18,23,24/1.265 है., स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण भारी परेशानियां उठा रहा है व अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहा है उक्त कृषि भूमि में काश्त हेतू व उपयोग व उपभोग के लिये प. न. 175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 11/0.013है., 12/0.013 है. गैर मुमकिन रास्ता किलों की दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में किला नं. 20,19 के चिपते प. न. 175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 13 में प्रवेश हेतु रास्ता की आवश्यकता है किला नं. 11,12 में वर्तमान रास्ता प्रार्थी पिछले काफी वर्षों से उपयोग व उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग व फसलो की काश्त हेतू अन्य कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है लेकिन उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी उक्त चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 135/103 में अप्रार्णी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि के प.न.

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 11/0.013 है.,12/0.013 है. गैर मुमकिन रास्ता किलों की दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में किला नं.20,19 के चिपते प. न. 175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 13 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी उचित प्रतिकर संदाय करने को तैयार व तत्पर है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग व कृषि भूमि से फसलों के काश्त से लेकर फसल उत्पादन निकालने तक के लिए उक्त कृषि भूमि के लिये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व इसके लिए प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में अपनी पहुंच के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व साधन नहीं है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बार निवेदन किया कि आप चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 135/103 में अप्रार्थी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि के प. न. 175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 11/0.013 है., 12/0.013 है. गैर मुमकिन रास्ता किलों की दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में किला नं.20,19 के चिपते प. न. 175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 13 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत करवा देवे व राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि गै. मु. रास्ता कृषि भूमि के रूप में दर्ज करवा देवे और उसके बदले में प्रार्थी से उचित प्रतिकर प्राप्त कर लेवे तो इस पर अप्रार्थी, प्रार्थी के निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गया और उक्त रास्ता बंद कर दिया। प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्यो के लिये आने–जाने व उपयोग व उपभोग के लिये अन्य कोई वैकल्पिक साधन व रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थना–पत्र रास्ता स्वीकृत करने का है जो 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 135/103 में अप्रार्णी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि के प. न. 175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 11/0.013 है., 12/0.013 है. गैर मुमकिन रास्ता किलों की दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में किला नं. 20,19 के चिपते प. न. 175/156 मु. नं. 32 के किला नं. 13 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत किया जावे व उक्त कृषि भूमि गै. मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज कर राजस्व मानचित्र में अंकित किया जावे।

द्वितीय प्रार्थना पत्र संख्या 41/2024 अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 115/102 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी में कृषि भूमि विभाजित खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 123/103 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी में संयुक्त विवादित खाता में अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी चक 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 115/102 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के प.नं. 175/156 मु.नं. 32 अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण भारी परेशानियां उठा रहा है व अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहा है उक्त कृषि भूमि में काश्त हेतू व उपयोग व उपभोग के लिये प. न. 175/156 मु. नु. 32 के किला नं. 1,2 के उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में किला नं. 3/0.253 है. 8/0.253 है. के चिपते ही 12 फुट चौडाई व 330 फूट लम्बा पत्थर लाईन में स्थित रास्ता प.नं. 175/156 मु.नं. 32 के किला नं. 3 में प्रवेश हेतु पिछले काफी वर्षो से उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग व फसलो की काश्त हेतू अन्य कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है लेकिन उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि के प. न. 175/156 मु. नु. 32 के किला नं. 1,2 के उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के चिपते ही 12 फुट चौडाई व 330 फूट लम्बा रास्ता प.नं. 175/156 मु.नं. 32 के किला नं. 3 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी उचित प्रतिकर संदाय करने को तैयार व तत्पर है। यह कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि के उपयोग व

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपभोग व कृषि भूमि से फसलों के काश्त से लेकर फसल उत्पादन निकालने तक के लिए उक्त कृषि भूमि के लिये रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व इसके लिए प्रार्थीया को उक्त कृषि भूमि में अपनी पहुंच के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व साधन नहीं है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बार निवेदन किया कि आप 14 बी.जी.पी के प. न. 175/156 मु. नु. 32 के किला नं. 1/0.018 है., 2/0.018 है. गैर मुमकिन रास्ता किलों के उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के चिपते ही 12 फुट चौडाई व 330 फूट लम्बा रास्ता प.नं. 175/156 मु.नं. 32 के किला नं. 3 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत करवा देवे व राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि गै. मु. रास्ता कृषि भूमि के रूप में दर्ज करवा देवे और उसके बदले में प्रार्थी से उचित प्रतिकर प्राप्त कर लेवे तो इस पर अप्रार्थी, प्रार्थी के निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गया और उक्त रास्ता बंद कर दिया। प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्यो के लिये आने–जाने व उपयोग व उपभोग के लिये अन्य कोई वैकल्पिक साधन व रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि प्रार्थना–पत्र रास्ता स्वीकृत करने का है जो 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि 14 बी.जी.पी. के प. न. 175/156 मु. नु. 32 के किला नं. 1/0.018 है., 2/0.018 है. गैर मुमकिन रास्ता किलों के उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के चिपते ही 12 फुट चौडाई व 330 फूट लम्बा रास्ता प.नं. 175/156 मु.नं. 32 के किला नं. 3 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत किया जावे व राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज कर राजस्व मानचित्र में अंकित किया जावे।

प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 39/2023 व द्वितीय पश्चावर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 41/2024 में समान पक्षकार, विवादित आराजी व रास्ता स्वीकृति के लिए विधिक एवं न्यायिक बिन्दु एक समान होने से दोनो प्रार्थना पत्र को एक साथ समायोजन (**Consolidate**) किया गया है उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है जो दोनो पर समान रूप से लागू होगा।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार संगरिया से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण संख्या 39/2023 में अप्रार्थी संख्या 1 को बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया। प्रकरण संख्या 41/2024 में अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से कोई उपस्थित नही आया तथा उक्त दोनो प्रकरणो के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्र क्रमाक राजस्व/2019/660 दिनांक 08.11.2024 व पत्रांक 555 दिनांक 11.09.2024 एवं 1596 दिनांक 22.05.2025 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व अप्रार्थी बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मय उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रकरण संख्या 39/2023 में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा काश्त भूमि प.न. 175/156 मु.न. 32 किला नं. 1/0.018 है. 2/0.018 है. किलो के उतरी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में रास्ता चाहा गया है तथा प्रकरण संख्या 41/2024 में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा काश्त भूमि प.न. 175/156 मु.न. 32 किला नं. 11/0.013 है. 12/0.013 है. किलो की दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में रास्ता चाहा गया है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है। जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है लेकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत किसी काश्तकार के पास खातेदारी कृषि भूमि के लिये कृषि कार्य हेतु मजूर शुद्वा रास्ता का आभाव है तो उसे निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का स्पष्ट प्रावधान किये गये है इसलिये प्रार्थीगण को रास्ता से वंचित किया जाना भी उचित प्रतीत नही होता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थीगण की कब्जाकाश्त कृषि भूमि में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 14 बीजीपी प.न. 175/156 मु.न. 32 किला नं. 11 व 12 की दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में किला नं. 20, 19 के चिपता हुआ 165 फिट लम्बा 8.5 फिट चौडा तथा किला नं. 13 में किला नम्बर 12 के चिपता पूर्व से पश्चिम 165 फुट लम्बा 16.5 फिट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में सरजीत सिह पुत्र जैला सिह का प.न. 175/156 मु.न. 32 किला नं. 3, 8 में से 165 फिट लम्बा व 8.5 फिट चौड़ा रकबा कम कर सुखमन्द्र सिह उर्फ बिन्द्रसिह पुत्र हजूर सिह के किला नम्बर 2, 9 के चिपता उक्तानुसार रकबा नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिशिचित करे। उक्त निर्णय की एक प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र संख्या 41/2024 में शामिल पत्रावली रखी जावे। तत्पश्चात् पत्रावलियॉ फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तार की जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया